भा. कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
ICAR-Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली-मारवाड़ 306401 (राजस्थान)
Regional Research Station, Pali-Marwar 306401 (Rajasthan)
Website: www.cazri.res.in, Email: director@cazri.res.in, Phone No. 02932–256098/258578, FAX: 02932-256098

F. No. RRSP/1/Pur./2010-11 Dated: 04.07.2015

To,

The Editors,

DanikBhaskar / Rajasthan Patrika, Pali

Sub: - Advertisement of Tender Notice for Annual Rate Contract for Farm/Tech./Lab./Other works at CAZRI's, RRS, Pali

Sir,

I am to send herewith an advertisement of Tender Notice for above work contract of the station which may kindly be advertised in Pali edition of your **Newspaper in minimum to minimum possible space in single insertion only latest by 05.07.2015**.

Bill may please be sent in triplicate duly pre-receipted in the name of the Director, CAZRI, Jodhpur for payment/verification alongwith press cutting of the advertisement at the rates approved by the DAVP, New Delhi.

Yours faithfully,

Encl.:- As above.

ASSISTANT ADIMINISTRATIVE OFFICER

Copy to:

1. The Publishing Officer (Sh. R.C. Joshi), through I/c AKMU along with tender document for uploading the Tender Notice along with document on the CPP Portal and CAZRI's website. A copy of confirmation of uploading the Tender Notice along with tender document on the CPP Portal may please send to this office for records.
2. The OIC Farm, CAZRI, RRS, Pali for information.
3. PS to Director/ Chairman, FCSAC Committee, CAZRI, Jodhpur for kind information.

ASSISTANT ADIMINISTRATIVE OFFICER

भा. कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
ICAR-Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली-मारवाड़ 306401 (राजस्थान)
Regional Research Station, Pali-Marwar 306401 (Rajasthan)
Website: www.cazri.res.in, Email: director@cazri.res.in, Phone No. 02932–256098/258578, FAX: 02932-256098

F. No. RRSP/1/Pur./2010-11 Dated: 04.07.2015

TENDER NOTICE

On behalf of the Director, CAZRI, Jodhpur sealed tenders are invited for engagement of agency for carrying out of Farm work including Technical/ Lab./ Other works on outsourcing basis at CAZRI, RRS, Pali under Annual Rate Contract. The tender form and other details are available on CAZRI website - www.cazri.res.in & www.eprocure.gov.in, which may be downloaded and submitted to this office with tender fee before due date and time i.e. 27.07.2015 at 11.30 a.m. Tender document may also be purchased from Asst. Adm. Officer of the CAZRI, RRS, Pali.

ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER

By Hand/Website

भा. कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

ICAR-Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली-मारवाड़ 306401 (राजस्थान)

Regional Research Station, Pali-Marwar 306401 (Rajasthan)

Website: www.cazri.res.in, Email: director@cazri.res.in, Phone No. 02932–256098/258578, FAX: 02932-256098

F. No. RRSP/1/Pur./2010-11 **Dated:**

Annual Rate Contract for Farm/Tech./Lab./Other works at CAZRI's, RRS, Pali

1. Date of start of selling the tender document : 04.07.2015
2. Last date and time for sale of tender form : 25.07.2015
3. Last date and time for submission : 27.07.2015 at 11.30 a.m.
4. Date and time for opening of Technical bid : 27.07.2015 at 12.00 p.m.
5. Date and time for opening of Financial bid : 27.07.2015 at 04.00 p.m.

Note: The tender form and other details are available on CAZRI website www.cazri.res.in. The interested Agency/Contractor/firm of repute may download or purchase the tender document from Asst. Adm. Officer of the CAZRI, RRS, Pali and submitted the same to this office by or before the due date & time.

From:-

Assistant Administrative Officer,
ICAR-CAZRI's Regional Research Station,
Pali-Marwar- 306 401.

To

M/s
____
____
____

Sub:- Tender Document for Annual Rate Contract for Farm work including Technical/Lab./ Other works on outsourcing basis at CAZRI's, RRS, Pali - regd.

Sir,

On behalf of the Director, CAZRI, Jodhpur sealed tenders are invited from interested Agency/Contractor/firm of repute for carrying out Farms work including Technical/Lab./Other works on outsourcing basis at CAZRI's, RRS, Pali under Annual Rate Contract. Other details and Terms & Conditions are enclosed herewith as Annexure-I & II.

The tender must be submitted to this Office by or before Due Date i.e. 27/07/2015 up to 11.30 A.M. by Courier/Registered Post/Speed Post in sealed cover, failing which it will not be considered.

The Tender is to be opened on Due Date i.e. 27/07/2015 at 12.00 P.M. at CAZRI's, RRS, Pali by the Committee members in presence of the representative of Contractors those submitted their Tender.

Yours faithfully,

ASSISTANT ADMINISTRTIVE OFFICER
For DIRECTOR

Encl: As above {Annexure-I (प्रपत्र अ से य) & II}

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

Annexure-I

तकनिकी बिड

(प्रपत्र– अ)

फर्म/ठेकेदार का विवरण

1. निविदादाता ठेकदेार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : ....

2. निविदादाता ठेकदेार/फर्म/एजेन्स का नाम व पता :

   मैसर्स ....

   ....

   ....

3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः .... निवासः .... माबेाइल नं. .... (ब) ई–मेल पता : ....

4. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण : .... (साझेदारी डीड/संविधान यदि सासेाइटी है ता)

5. अधिकृत डीलरषीप/एजेसी का प्रमाणपत्र नम्बर : ....

6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर : ....

7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस टैक्स नम्बर : ....

8. फर्म/ठकेदार के बैंक का नाम व पता : ....बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर :.. बैंक खाता नम्बर : .... (सही सूचना के लिए चैक की छाया प्रति संलग्न करें)

9. निविदा शुल्क रू. 500/– रसीद नम्बर /डी0डी0 : .... दिनांकः .... यदि डी.डी./बैंकर चैक है तो ICAR Unit-CAZRI के पक्ष में

10. धराहेर राषि (Earnest Money Deposit) रू. 10,000/– ICAR Unit-CAZRI, के पक्ष में डी.डी. /बैंकर चैक नं. .... दिनांक ....बैंक का नाम ....

11. निविदा प्रपत्र को बिना कांट–छाटं के साफ–सुथरा भर कर माहे र सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 27–07–2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे से पूर्व **अध्यक्ष, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के नाम** केन्द्र के नाम के टेन्डर बोक्स में डलवायें। लिफाफे पर Annual Rate Contract for Farm Work लिखा हानेा चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. विस्तृत जानकारी हेतु देंखें काजरी वबेसाइटः www.cazri.res.in

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–ब)

काजरी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के फार्म/तकनिकी/अन्य कार्य हेतु रेट कोन्ट्रेक्ट संविदा के नियम एवं शर्ते

1. **निविदा प्रस्तुति**: निविदादाता को पहले लिफाफे पर **तकनीकी बिड** लिखकर उसमें निम्नलिखित बिन्दु सं. 4 में वांछित दस्तावजों तथा सभी तकनीकी बिड प्रपत्रों को भर कर व प्रत्यके पेज पर हस्ताक्षर कर मूल प्रति सहित डालकर उसे बन्द करना होगा। दूसरे लिफाफे पर **वित्तीय बिड (फाइनेंशिल बिड)** लिख कर उसमें केवल मात्र वित्तीय बिड (Annexure-II) में ठेका कार्य हेतु दरें अंकित कर मय मोहर अपने हस्ताक्षर उसमें डाल कर व उसको बन्द कर फिर दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डाल कर निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि को निर्धारित समय तक या उससे पहले **काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली** के टेण्डर बोक्स में स्वयं उपस्थित होकर सहायक प्रशासकीय अधिकारी की जानकारी में लाकर डालने होंगे या डाक द्वारा **'सहायक प्रशासकीय अधिकारी, काजरी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली'**, को प्रेषित किया जाना होगा। निविदा खोलने की तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पहले **निविदा योग्यता प्रपत्र (तकनीकी बिड)** वाला लिफाफा खोला जायेगा।
2. निविदा योग्यता प्रपत्रों (तकनीकी बिड) में योग्य/सफल पाये जाने वाले निविदादाताओं के ही निविदा दर प्रपत्र (फाइनेन्शियल बिड) वाले लिफाफे खोले जायेंगे।
3. निविदा योग्यता प्रपत्रों में अयाग्य/असफल पाये जाने वाले निविदादाताओ ंकी निविदाओं को निरस्त माना जायेगा एवं उनके निविदा दर वाले लिफाफे नहीं खोले जायेंगे।
4. निविदा की तकनिकी बिड के साथ चैक लिस्ट में उल्लेखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित होकर कार्य स्थल का जायजा कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं।
6. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के पास भारत सरकार/ राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन नम्बर प्रमाण पत्र होना चाहिए।
7. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन (PAN) नम्बर/ ई.पी. एफ/ई.एस.आई./सेवा कर नम्बर होना चाहिए, यदि लागु हों, और प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
8. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
9. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के खिलाफ ई.पी.एफ./ई.एस.आई./न्यूनतम मजदूरी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का लीगलसूट/ अपराधिक मामला लम्बित नहीं हानेा चाहिए।
10. **संविदा/ ठेका कार्य की सम्पूर्ण/ सभी मदों के लिए औसत न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता (एल–1) फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को ठेका कार्य दिया जायेगा।**
11. सफल निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को ठेका कार्य करने के लिए करार करने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचित करने हेतु जारी पत्र की तिथि के एक सप्ताह (7 दिन) की अवधि में संभावित कार्य आदेश की राशि का 10 प्रतिशत या एक मुश्त राशि, जैसा भी निर्देशित किया जाए, अमानत राशि (Performance Security) के रूप में नकद/बैंक डाफ्ट/बैंक गारन्टी, आदि माध्यम द्वारा द्वारा संस्थान में जमा कराना होगा, जिसकी अवधि ठेका समाप्त होने के 60 दिन पश्चात् तक वैध रहेगी। यदि फर्म/एजेन्सी/कम्पनी ऐसा नहीं करती हैं तो बिना किसी सूचना के आवंटित ठेका निरस्त माना जायेगा एवं उनके द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जब्ज करली जायेगी और भविष्य में उस फर्म/एजेन्सी/कम्पनी से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

Signature with seal of the firm/representative of the firm

12. ठेका में शामिल किसी भी गतिविधि को मौसम सम्बन्धी कारणों/तकनिकी कारणों से समाप्त किया जा सकता है।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. बिना हस्ताक्षर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
15. सफल निविदादाता ठेकादार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा ठेके में लगाये गये श्रमिको का चरित्र अच्छा होना चाहिए। सभी श्रमिकों को हिन्दी/स्थानीय भाषा में बातचीत करने का यथा सम्भव ज्ञान होना चाहिए।
16. सी.एल. (आर एण्ड ए) एक्ट 1970 सेक्सन 12 (1) .... 1971 की वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप फर्म/ऐजेन्सी/कम्पनी को इस संस्थान में 20 या अधिक श्रमिक नियुक्त करने के लिए वैध लाइसेन्स श्रम कार्यालय से प्राप्त करना होगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस संस्थान के कार्यालय में जमा करानी होगी।
17. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कुशल, अर्द्ध–कुशल, अकुशल एवं अन्य श्रमिक आपूर्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी समय–समय पर यथा संशोधित से कम दर को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
18. ठेका आवंटित होने के बाद इस जॉब कान्ट्रेक्ट पर सेवा कर अथवा अन्य सभी देय कर ठेकेदार फर्म द्वारा चुकाये जायेगें और संस्थान इस तरह के किसी भुगतान के दावे को स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि सरकार के समय–समय पर जारी नियमानुसार/निर्देशानुसार सेवा कर अथवा अन्य कर जो ठेकेदार फर्म के मासिक बिल से कटौती की जायेगी।
19. श्रमिकों को श्रम कानूनों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा एवं मलूभूत सुविधाएं – जैसे पीने का पानी, छाया इत्यादि फर्म द्वारा व्यवस्था करनी होगी।
20. फर्म/ऐजेन्सी/कम्पनी को संविदा कार्य में लगाये गये मजदूरों/श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान संबंधी उचित रिकार्ड रखना होगा।
21. बाल श्रमिकों को संविदा कार्यों में नहीं लगाया जायेगा।
22. सफल निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को आवंटित संविदा कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मजदूरों/ मशीनों/ औजारों की व्यवस्था करनी होगी। विभाग के वैज्ञानिक, तकनिकी अधिकारी, सुपरवाईजर के निर्देशानसुार सन्तोषजनक ढंग से कार्य सम्पन्न करना होगा।
23. फार्म में करवाए जाने वाले कृषि इत्यादि कार्य का क्षेत्रफल एवं कार्य की मात्रा/संविदा कार्य की गतिविधि का कोई भाग/कार्यांश एवं अनुमानित लागत परिवर्तित की जा सकती है।
24. किसी श्रमिक का कार्य या व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर तुरन्त प्रभाव से उस संविदा श्रमिक को बदलना/वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
25. ठेकेदार फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा समय पर कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में सम्बन्धित मद में से 25 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
26. अनुसंधान क्षेत्र/प्रोजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी बाहरी/असंबंधित व्यक्ति या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए। सरकारी सम्पत्ति/फेंसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च संबंधित फर्म/एजेन्सी/कम्पनी से वसूल किया जाएगा।
27. कार्यावधि में फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को आबंटित ठेका के किसी संविदा श्रमिक/मजदूर, इत्यादि को साँप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मदेारी नहीं होगी।
28. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा। भुगतान केवल पूर्ण किए गये कार्य का ही देय होगा।
29. संविदा कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी। भुगतान ठेके के अन्तर्गत किए गये अनुमोदित आंशिक कार्य का पार्ट बिल/मासिक बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
30. स्वीकृत ठेका का कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व प्राप्य बिल की दो प्रतियां श्रीमान् निदेशक, काजरी, जाधेपुर के नाम भुगतान हेतु इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी, जिसका भुगतान संबंधित पी. आई/वैज्ञानिक/अधिकारी के द्वारा बिल को सत्यापित करने के पश्चात देय होगा।

31. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जायेगी।
32. काजरी परिसर में जानवरो, पशु–पक्षियों को नुकसान पहुंचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित फर्म/ऐजेन्सी/कम्पनी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
33. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को एवं उसके समस्त संविदा श्रमिकों को जो काजरी परिसर में संविदा कार्य कर रहे हैं उन्हे संस्थान के सुरक्षा नियमों की पालना करनी होगी।
34. संविदा कार्य कार्य–आधार पद्धति (Work Contract Basis) पर आवंटित किया जायेगा।
35. संविदा कार्य की अवधि एक वर्ष की होगी। सन्तोषजनक कार्य की स्थिति में आपसी सहमति से अवधि को बढाया जा सकता है।
36. कार्य पर लगाये गये श्रमिक को सम्बन्धित फार्म/कृषि उपकरण/मशीनरी/टैक्टर आदि चलाने का अनुभव होना चाहिए एवं सम्बन्धित लाइसेंस होना चाहिए।
37. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
38. सभी विवादों को निपटाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
39. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर को होगा।
40. The firm/agency/company shall carry out the experimental field work (on contract basis) of the CAZRI's RRS, Pali Farm as per the requirements and instructions given to them by the authorities of one part/first party from time to time for a period from of one year w.e.f. the date of signing the agreement deed until further orders. However, the initial contract will be awarded only for 3 months and it will be extended further period if services provided by the contractual firm are found satisfactory.
41. Any other extra taxes/charges applicable or made applicable after awarding the contract in respect of this contract shall be payable by contractor and Institute will not entertain any claim whatsoever in this respect. However, the service taxes or any other tax which is as per the rules of the Govt., shall be deducted at source from monthly bills of the successful tenderer, as per rules/instructions made applicable from time to time by government.
42. The firm/agency/company agrees to discharge all their legal obligations of their employees in respect of the their wages and other service conditions and shall also comply with all the rules and regulations and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time, viz. Statutory obligations under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, Minimum Wages Act. Workmen's compensation Act. EPF and MP Act, Industrial Dispute Act etc. The firm/agency/company agrees to indemnify and keep indemnified the one part/first party from any claims, loss or damages that may be caused to the one part/first party on account of the firm/agency/company failure to comply with their obligations under the various law towards their staff/employees employed by them or any loss or damages to one part due to acts/omission of other part.
43. **Wages to workers**: The Contractor/Agency shall make payment of remuneration/wages not below the minimum wages to its personnel by or before 7th of every month by crossed cheque/cash in presence of Nodal Officer/Committee. Wages may also be paid through online transfer of fund/cash and in case of same the firm will have to furnish all the documents duly verified by the Nodal Officer which ascertain that payment has been made to the laborers as per minimum wages act and the terms & conditions laid down in this Agreement Deed. After making the payment, the Contractor shall raise the bill on the CAZRI for payment of the settled amount. They will submit to the CAZRI a copy of the payment vouchers duly signed by the workers for each month.

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

44. The firm/agency/company should furnish the documentary evidence in support of his claim for verification by the Department. The agency must be submitted an authorized letter of Banker for E-Payment system to this office.
45. The firm/agency/company shall submit their bills in triplicate after the completion of field contractual work as per order of the service rendered to Director, CAZRI, Jodhpur. The payment will be made by cheque /e-payment system within 15 days on receipt of confirmation regarding satisfactory execution of services by the officer authorized for this purpose. In case, the services are not provided up to the satisfaction of the authorities, suitable deductions will be made from the payment at the discretion of Director, CAZRI whose decision shall be final and binding on the firm/agency/company.
46. The firm/agency/company agrees to get all the labors/employees insured against any liability arising under the Workman's Compensation Act or under the common law. The firm/ agency/ company agrees to indemnify against any claim that the one part/First Party may have to meet in respect of their staff members and /or workman/employees on account of any accident or for any other reason.
47. The contractor should maintain the record of contractual work/laborer as per contract labour (R&A) Act, 1970/1971 and minimum wages act, and also the information regarding may also be sent to LEO/Regional Commissioner concerned and this Office in time.
48. A daily list of field laborer on duty should be provided to the Office duly verified by concern scientist/in-charge.
49. Other terms and conditions of the contract are as per the tender notice and work order may be followed during the contract.
50. It is further clarified that under no circumstances, the staff member and /or the Workmen/employees of the labour contractor should be treated, regard or considered or deemed to be the employees of the One Part/First Party and the firm/agency/company shall be responsible for their remuneration, wages and to their benefits and services conditions of all the employees deployed by the firm/agency/company and shall indemnify and keep indemnified the One Part / First Party AGAINST ANY CLAIM THAT may have to meet towards the employees of the firm/agency/company.
51. In case any theft or damage to the One Part/First Party property occurs during the service contract period with the labour contractor due to the negligence the laborer of the firm/agency/company shall be held responsible for such losses and damages, if after a properly constituted enquiry (consisting of two members of the One Part/ First Party and one member of the firm/ agency/ company) come to the conclusion that the loss is attributable to the negligence on the part of laborer of the firm/agency/ company. The firm/agency/company shall attend the police case if any of their concern from time to time during the contract period, if required.
52. **Penalty Clause**: In case of failure to undertake the work or completion of work by the firm/agency/company as per order, the performance security money deposited by the contractor will be forfeited, and Institute will stop any future dealing with the firm/agency/company.

-0-0-0-

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–स)

निविदादाता ठेकादार / फर्म / एजेन्सी / कम्पनी द्वारा घोषणा

1. I,____son/ daughter/ wife of Shri ____ Proprietor/ Director/ authorized signatory of the Company/Firm mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them.
3. The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Signature & Name of the authorized

Signatory with Seal of the Firm

Place:

Date:

<u>तकनीकी बिड</u>

(प्रपत्र–द)

<u>FOR THE USE BY TENDER OPENING COMMITTEE ONLY</u>

Name of the Firm: ____

1. Earnest money deposited/not deposited/is/not in acceptable form.
2. There are no changes, corrections, additions and overwriting etc. in the General Terms and Conditions put to tender.
3. There are ____________________________ corrections and overwriting in the rates which have been quoted in figure/words numbered from________________________ to _____________________ figure/words.
4. The tender is conditional/unconditional. Please refer covering letter/notes on page ______ there are ______ conditions.
5. The rates have not been quoted against item No. ________________.
6. There is ambiguity in the rates quoted in figure and words against item No. ___________.
7. Rates have been quoted in figures/words only.

(Tender Opening Committee)

Signature with seal of the firm/representative of the firm

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–य)

CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH TENDER DOCUMENT FAILING WHICH THE BID WILL BE LIABLE TO BE REJECTED:

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page No.	Remarks
1.	Details of Cost of bidding document Rs. 500/-			
2.	Details of EMD deposited Rs. 10,000/-			
3.	Copy of Registration of firm			
4.	Copy of Registration Certificate of EPF, if applicable			
5.	Copy of Registration Certificate of ESI, if applicable			
6.	Copy of Labour license under contract labour (R&A) Act, 1970 if any available. *Note: This license will have to be obtained by the firm in respect of this institute after submitting the work order*.			
7.	Copy of Service Tax Registration			
8.	Copy of PAN/TIN Card			
9.	List of clients indicating quantum of work executed with them			
10.	Rate quoted complies with the Minimum Wages Act. of Govt. of India (Central Govt) with all other statutory provisions. (Write Yes or No)	________	________	

Authorized Signatory

Full Name of Bidder with Address & Date

Signature with seal of the firm/representative of the firm

ANNEXURE-II

वित्तीय निविदा

(Financial Bid)

सेवा में,

निदेशक, काजरी, जोधपुर।

महोदय,

Carrying out Farms work including Technical/Lab./Other works on outsourcing basis at CAZRI's, RRS, Pali under Annual Rate Contract के लिए संस्थान के निविदा आमंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यों हेतु हमारे द्वारा अग्रांकित दर प्रस्तुत किये जाते हैं:

क्र.स.	कार्य विवरण	इकाई	दर (प्रति इकाई) (both in words & figures)
1	2	3	4
1.	थाले बनाना (1.0 मीटर व्यास के), सफाई करना, खरपतवार हटाना कुदाली या खुरपी द्वारा निराई / गुड़ाई एवं देखभाल करना।	प्रति पौधा	
2.	खडडे खोदना (1 मीटर ×1 मीटर ×1 मीटर आकार के) एवं खाद् मिट्टी मिलाकर भरना एंव पौधारोपण करना	प्रति खड्डा	
3.	खाद् मिट्ठी का मिक्सर तैयार करना एवं थैलियों व गमलों में भरना एवं बेडों (क्यारियों) में शिफ्ट करना, बीज पौधा व कटिंग बोना व पानी देना। अ. 1–2 किलो माप (साइज)	प्रति 100 थैली या गमला	
	ब. 3–5 किलो माप (साइज)	प्रति 100 थैली या गमला	
	स. 6–10 किलो माप (साइज)	प्रति 100 थैली या गमला	
	द. 11 किलो से अधिक माप (साइज)	प्रति 100 गमला	
4.	नर्सरी तैयार करनाः बेड (क्यारी) खोदना (1 फुट से 1.5 फुट गहरी), मिटी खाद् मिश्रण करना, क्यारी बनाना, बीज / पौध बोना, पानी देना, बेड में शिफ्ट करना	प्रति 10 वर्गमीटर पौधों की	
5.	बडिंग एंव ग्राफटिंग करना	प्रति 100 नग (जीवित संख्या)	

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

1	2	3	4
6.	खेत की सफाई करना, बहुवर्षिय पौधे, झाड़ियां, जड़ें, मूल, पत्थर, प्रायोगिक क्षेत्र से कचरा इत्यादि हटाना (सूड़ करना)	प्रति हेक्टर	
7.	खरपतवार निकालना एवं गुड़ाई करना (फसलों एवं घासों) में (एक बार) अ. खुरपी से	प्रति हेक्टर	
	ब. कस्सी से	प्रति हेक्टर	
8.	फसल की कटाई करना– जिसमें काटना/तोड़ना, बण्डल बनाना, एवं बीज, कड़बी, भूसा ट्रांसपोर्ट करना एवं खाली करना तथा थ्रेसिंग करना तथा बीजों की सफाई कर स्टोर तक पहुंचाना	प्रति हैक्टर	
9.	फसलों के बीज साफ करना, सुखाना, ग्रेडिंग करना पैकिंग करना, बोरियां भरना व सिलना, उपचारित करना एवं भण्डार में रखना, भण्डारण, थ्रेसिंग फ्लोर तथा ड्रमों की सफाई करना। अ. 5 किलो तक	प्रति 100 बैग	
	ब. 6–10 किलो तक	प्रति 100 बैग	
	स. 11–50 किलो तक	प्रति 100 बैग	
	द. 51–100 किलो	प्रति 100 बैग	
10.	**धामन घास** के बीज इक्कठा करना, साफ करना, सुखाना, पैक करना व भण्डार में रखना।	प्रति किलो	
11.	जे.सी.बी. का कार्य (जे.सी.बी. मशीन मय ड्राईवर)	प्रति घण्टा	

टिप्पणी–

1. उपरोक्त दरें सभी प्रकार के कर आदि सहित है/होगी और इसके अतिरिक्त कोई राशि अदा नहीं की जायेगी।
2. कार्य के विषय मे ंअधिक जानकारी के लिए फार्म प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

मैसर्स ....

....

दिनांकः ....

स्थान : ....

Signature with seal of the firm/representative of the firm